दिल्ली परिवहन निगम
(रा0 रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट : नई दिल्ली–110002
राजभाषा विभाग (मुख्यालय)

सं0–रा0भा0वि0–4(2)/2013/11 दिनांक: 23–1–13

विषयः– राजभाषा हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग : 31–12–12 को समाप्त तिमाही की रिपोर्टः–

निगम में राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से सम्बंधित उपर्युक्त अवधि की रिपोर्ट अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जानी है। इस सम्बन्ध में कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि यह रिपोर्ट संलग्न नये निर्धारित फार्म में ठीक–ठीक भर कर **08–02–2013** तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाए। इस सम्बन्ध में निर्धारित फार्म की एक प्रति भेजी जा रही है। एक प्रति भर कर इस कार्यालय को भेजना अपेक्षित है और दूसरी प्रति अपने यहां टाइप कराके रिकार्ड में रख लें ताकि किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करते समय इस प्रति का प्रयोग किया जा सके। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि संलग्न फार्म के सम्बंधित कालमों में जो आंकड़े/सूचना भरी जाए, यह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए।

कृपया इसे अतितात्कालिक समझें।

संलग्न : फार्म की एक प्रतिः

ह0/–
प्रबन्धक(प्रशासन/हिन्दी)

मंत्रालयों/विभागों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्टः

मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम : दिनांकः

क्या यह नियम 10(4)के अंतर्गत अधिसूचित है? हां/नहीं

1(1) अधिकारियों/कर्मचारियों के राजभाषा ज्ञान की स्थितिः **अधिकारी कर्मचारी**

(क)अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल सं0 (श्रेणी'घ'केकर्म0कोछोडकर)

(ख) उपरोक्त (क) में से प्रवीणता प्राप्त अधि0/कर्म0 की संख्याः

(ग) उपरोक्त (क) में से कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधि0/कर्म0 की सं0ः

(घ) उपरोक्त (क) में से कितने प्रशिक्षण पा रहे हैंः

(ड.)जिन्हें राजभाषा में प्रशिक्षण दिया जाना बाकी हैः **प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ**

1(2) हिन्दी आशुलिपि/टंकण का प्रशिक्षण **आशुलिपिक टंकक कुल सं0**

(क) आशुलिपिकों/टंककों की कुल संख्या

(ख) इनमें से हिन्दी आशुलिपि/टंकण जानने वालों की सं0ः

(ग) उपरोक्त (ख) में से कितने वर्डप्रोसेसर इलैक्टॉनिक टाइप पर प्रशिक्षित हैंः

(घ) उपरोक्त (क) में से कितने प्रशिक्षण पा रहे हैंः

(ड.) कितने आशुलिपिकों/टंककों को हिन्दी आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना शेष है(क–ख–ग)

2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कागजात जो इस तिमाही में केवल अंग्रेजी में जारी किए गएः

नोटः– (1) धारा–3(3) के अंतर्गत सामान्य आदेश,ज्ञापन,संकल्प,अधिसूचनाएं,नियम,करार,संविदा, टेंडर,नोटिस, संसदीय रिपोर्ट,संसदीय प्रश्न आदि शामिल हैं।

(2) यह सूचना कार्यालय में उपलब्ध गार्ड फाइल तथा अन्य फाइलों से दी जाए।

3. हिन्दी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम 5):

(क) अनुभागों/डेस्कों में कार्यालय पद्धति मैनुअल के अध्याय 4 पैरा 12(1) के अनुसार निर्धारित डायरी रजिस्टर के अनुसार **हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रः**

(ख) **इनमें से कितनों के हिन्दी में उत्तर दिए गएः**

(ग) **जिनका उत्तर अपेक्षित नहीं थाः**

4. **मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा भेजे गए कुल मूल पत्रों का ब्यौराः**

भेजे गए मूल पत्रों में से हिन्दी पत्रों का प्रतिशतः

हिन्दी में	अंग्रेजी में	पिछली तिमाही में	इस तिमाही में

नोटः–इस पत्राचार के साथ तार, टेलेक्स, फैक्स भी शामिल किए जाएं परन्तु मद (3) में सम्मिलितसूचना जोडी जाए।

1. हिन्दी में मूल काम के लिए प्रोत्साहन योजना :

(1) अधिकारी (2) कर्मचारी (3) पुरस्कारों की सं0

भाग ले रहे अधि0/कर्म0 की संख्याः

2. टाइपराइटरों/यांत्रिक उपकरणों आदि से सम्बंधित विवरणः

क0सं0	उपकरण का नाम	कुल सं0 उपकरणोंकीसं0	देवनागरी लिपि वाले (संख्या)	द्विभाषी रूप में प्रयोग की प्रतिशतता	हिन्दी में कार्य
(क)	यांत्रिक टाइपराइटर				
(ख)	इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर				
(ग)	टेलेक्स/टेलीप्रिंटर				
(घ)	पता लेखी मशीनें				
(ड.)	अन्य उपकरण (नाम दें)				

3. कम्प्यूटरों से सम्बंधित सूचनाः

(क) सिंगल यूजर (पीसी) (ख) मल्टी यूजर (एजी मिनी/मेनफ्रेम (ग) कुल टर्मिनलों की संख्याः

(क) जिस्ट कार्य युक्त (ख) द्विभाषी साफ्टवेयर (ग) जिस्ट टर्मिनलों की संख्याः

(2) द्विभाषी कम्प्युटर :

(3) कम्प्यूटर पर किए जा रहे कुल कार्य में हिन्दी में व्यवहारित कार्य की प्रतिशतताः –

(4) उन साफ्टवेयरों / प्रोफार्मों के नाम जिन पर हिन्दी स्वरूप विभाग को चाहिए परन्तु वह विभाग को उपलब्ध नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(5) क) कम्प्युटर प्रचालन तथा कम्प्युटिंग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या

ख) उपरोक्त में से कितने कर्मचारी यह कार्य हिन्दी में कर सकते हैं।

(6) विभागीय तथा एन आई सी के कुल प्रोग्रामरों में से हिन्दी में प्रोग्राम में दक्षता प्राप्त प्रोग्रामरों की संख्याः

8. कोड/मैनुअल आदिः

(क) सांविधिक/कार्यालयीन/तकनीकी साहित्यः

श्रेणी	कुल सं0	द्विभाषी रूप	केवल अंग्रेजी	केवल हिन्दी में द्विभाषिक रूप में न होने का कारण
1. अधिनियम/नियम				
2. कार्या0कोड/मैनुअल				
3. मानक कार्य				
4. तकनीकी साहित्य				
प्रशिक्षण सामग्री				

(ख)द्विभाषी प्रकाशनः

1. पत्र–पत्रिकाएं
2. अन्य प्रकाशन

हस्ताक्षर/मोहर/यूनिट/अनुभाग अधिकारी